



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- श्रीगंगानगर में ग्राम विकास अधिकारी 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 08 जून, बुधवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर गंगानगर प्रथम इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सुरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लखा हाकम, पं.स. रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर को परिवादी से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की गंगानगर प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके तीन प्लाटों के पट्टा नवीनीकरण व इंतकाल दर्ज करने की एवज में सुरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लखा हाकम, पं.स. रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा 15 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, बीकानेर के पुलिस अधीक्षक श्री गगनदीप सिंगला के सुपरवीजन में एसीबी श्रीगंगानगर प्रथम इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री भूपेन्द्र सोनी के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये सुरेश मीणा पुत्र श्री जयनारायण मीणा निवासी 717, शिवनगर, मुरलीपुरा, जयपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लखा हाकम, पं.स. रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर को परिवादी से 10 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं **WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।